

lary Jalore District, if not, what further measures are being adopted to provide adequate relief in the area ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) to (e). A statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library. See No. LT-2025/69.]

Scheduled Tribes Persons Killed Near Mavanoli Village of Rajasthan

*125. SHRI SATYA NARAIN SINGH :
SHRI A. K. GOPALAN :
SHRI C. K. CHAKRAPANI :
SHRI BHAGABAN DAS :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether five persons belonging to a Scheduled Tribe were recently killed near Mavanoli village in Rajasthan by a mob of villagers ;

(b) if so, the reasons behind the crime ; and

(c) the action taken by Government to protect the Tribals from such attacks ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : (a) to (c). According to information furnished by the State Government, on 20th September 1969 five persons belonging to Scheduled Tribes were killed near Babai-ka-Tibara district Jhunjhuru. 45 persons suspected to be involved in the commission of the offence have been arrested. Investigations are in progress. Intensive patrolling by police has been undertaken in the area.

सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

*126. श्री प्रोम प्रकाश त्रिपाठी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण बेंच द्वारा 29 सितम्बर, 1969 को दिये गये इस निर्णय की ओर दिलाया गया है कि सरकारी कर्मचारी की सेवा-

निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है और उसे 55 वर्ष की आयु पर जबरन सेवानिवृत्ति करना गैर-क नूनी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिनिधि के अभाव में मामले पर विचार करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है । उत्तर प्रदेश सरकार में निर्णय की प्रतिनिधि प्रतीक्षित है ।

हिन्दी भाषी राज्यों में उच्च न्यायालयों में राष्ट्र भाषा

*127. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी भाषी राज्यों के उच्च न्यायालयों में राष्ट्र भाषा का प्रयोग प्रारम्भ करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों से परामर्श भी कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति से प्राप्त सङ्मति से, उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों आदि में अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी या राज्य की राजभाषा के प्रयोग के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं । इस धारा को लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) हिन्दी भाषी राज्यों में से उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें उपर्युक्त अधिनियम